भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

**राज्‍य सभा**

**तारांकित प्रश्न संख्या \*23**

(जिसका उत्तर 01 दिसम्बर, 2015/10 अग्रहायण, 1937 (शक) को दिया जाना है)

**विदेशी मुद्रा लेन-देन में अनियमितताएं**

\*23. श्री नीरज शेखर:

 क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बैंक आफ बड़ौदा की अशोक विहार शाखा में हाल में खोले गए खातों के माध्यम से 6000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा हांगकांग में अंतरित किए जाने संबंधी एक घोटाले का पता चला है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने विदेशी मुद्रा के लेन-देन में कथित तौर पर अनियमितताएं बरते जाने और दिल्ली से काला धन बाहर भेजे जाने की जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे घोटाले में संलिप्त अन्य बैंकों का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

वित्त मंत्री (श्री अरुण जेटली)

**(क) से (ग):** एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

**'विदेशी मुद्रा लेन-देन में अनियमितताएं' के संबंध में श्री नीरज शेखर द्वारा पूछे गए
01 दिसम्बर, 2015 के राज्‍य सभा तारांकित प्रश्न संख्या \*23 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।**

**(क) से (ग):** केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) तथा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बैंक आफ बड़ौदा द्वारा अपनी अशोक विहार शाखा, नई दिल्ली से नए खोले गए खातों के जरिए लगभग 6000 करोड़ रुपए की राशि के बहिर्गामी विदेशी विप्रेषणों में अनियमितताओं के संबंध में दायर की गई शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने उपर्युक्त लेन-देन में शामिल 11 कंपनियों के संबंध में जांच के आदेश दिए हैं। वित्तीय सेवाएं विभाग ने इस मामले में फोरेंसिक जांच का आदेश दिया है। अन्य बैंकों की संलिप्तता के ब्यौरे की जानकारी जांच के अंत में प्राप्त होगी।

\*\*\*\*\*